पत्र संख्या–3/ब0गै0यो0–01–03/2015गृ0आ0................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक जुलाई, 2016

विषय :– **गैर योजना मद से Small Arms Training Simulator के रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुबंध की राशि का भुगतान हेतु देय राशि कुल ₹ 32,94,965 (बत्तीस लाख चौरानवें हजार नौ सौ पैंसठ रू0) मात्र में से अधियाचित ₹ 24,94,965 (चौबीस लाख चौरानवे हजार नौ सौ पैसठ रू0) मात्र के अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–523/आपूर्ति, दिनांक 19.05..2016 के आलोक में विभिन्न जिलों/इकाईयों में अधिष्ठापित कुल 24 (चौबीस) अद्द Small Arms Training Simulator का वार्षिक रख–रखाव अनुबंध (AMC) M/s Zen Technologies Ltd, B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hydrabad-500018, Telangana से दिनांक 01.12.2015 से दिनांक 30.11.2016 तक कराने के फलस्वरूप भुगतान हेतु कुल ₹ 32,94,965 (बत्तीस लाख चौरानवें हजार नौ सौ पैंसठ रू0) मात्र में से ₹ 8,00,000 (आठ लाख रू0) मात्र का पूर्व में भुगतान किये जाने के उपरान्त शेष राशि के भुगतान हेतु अधियाचित राशि कुल ₹ 24,94,965 (चौबीस लाख चौरानवे हजार नौ सौ पैसठ रू0) मात्र के अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष– 0003–केन्द्रीय स्तर पर सामाग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 27 02–अनुरंक्षण एवं मरम्मत तथा विपत्र कोड N2055000010003 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरूद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10 उपर्युक्त में विभागीय मंत्री मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/ब0गै0यो0–01–03/2015गृ0आ0..........5406.......... पटना, दिनांक 14 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.7.16

सरकार के प्रधान सचिव